प्रेस विज्ञप्ति
21/01/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने **नेतर सभरवाल व अन्य बैंक धोखाधड़ी मामले** में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 1.52 करोड़ रुपये की चल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां मनमोहन अग्रवाल (मेसर्स शिव ज्वैलर्स के मालिक) की 02 सावधि जमाओं के रूप में हैं, जिनकी कीमत 1.22 करोड़ रुपये (लगभग) और मयूर अग्रवाल (मेसर्स जेएस ज्वैलर्स के मालिक) की 30.76 लाख रुपये (लगभग) है, जिनकी कुल कीमत 1.52 करोड़ रुपये (लगभग) है।

ईडी ने एसीबी, सीबीआई गाजियाबाद द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जहां यह आरोप लगाया गया था कि नवंबर-दिसंबर 2016 में विमुद्रीकरण (नोटबंदी) की अवधि के दौरान नकदी जमा करने के लिए बैंक खातों का धोखाधड़ी से उपयोग किया गया था।

ईडी की जांच से पता चला है कि नोटबंदी के दौरान कुछ बैंक खातों में धोखाधड़ी से नकदी जमा की गई थी। जांच में यह भी पता चला कि जे एंड के बैंक के अधिकारियों/कर्मचारियों ने कुछ निजी व्यक्तियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची, ऐसे बैंक खातों के बैंक रिकॉर्ड में हेराफेरी करके जालसाजी की और जानबूझकर नोटबंदी के दौरान भारी मात्रा में नकदी जमा होने दी।

ईडी की जांच में यह भी पाया गया कि नोटबंदी के दौरान कुछ बैंक खातों में धोखाधड़ी से जमा की गई नकदी को बाद में संदिग्ध लेनदेन की श्रृंखला में कई बार भेजा गया और उसके बाद इसे वास्तविक व्यापारिक लेनदेन के रूप में प्रस्तुत करके अंतिम लाभार्थी तक भेज दिया गया।

ईडी की जांच से पता चला है कि कई संस्थाओं में से मेसर्स शिव ज्वैलर्स (प्रोप. मनमोहन अग्रवाल) और मेसर्स जेएस ज्वैलर्स (प्रोप. मयूर अग्रवाल) जमा किए गए पैसे के अंतिम लाभार्थी थे। ईडी ने अब उनसे जुड़ी 1.52 करोड़ रुपये (लगभग) की फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में चल संपत्ति जब्त कर ली है ।

आगे की जांच जारी है।